रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 877] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939
No. 877] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1329(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'ग' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पदों भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. तकनीकी सहायक	19* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग	मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरी में डिप्लोमा के साथ सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव	आयु ; नहीं शैक्षिक अर्हताएं ; नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।				

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसे ज्येष्ठ तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100/- रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीक रण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3 फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. नक्शानवीश श्रेणी ।।	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नक्शानवीश (मैकेनिकल) में डिप्लोमा के साथ सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण**: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों

आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।				या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कृषि सहायक	04* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में बैचलर डिग्री	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण**: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं

मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।				और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. ज्येष्ठ तकनीशियन	50* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी समय-समय पर किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के	(क) (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से मेकैनिक कृषि मशीनरी या मेकैनिक मोटर यान या मेकैनिक ट्रैक्टर या मेकैनिक डीजल इंजन या इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रमाण पत्र ; (ii) ट्रैक्टर या भारी परिवहन यान या भारी मिट्टी हटाने वाले उपस्कर के प्रचालन अथवा रखरखाव या विद्युत रखरखाव में पांच वर्ष का अनुभव ; और (ख) हल्के और भारी यान तथा ट्रैक्टर के चालन की वैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के दो वर्ष	(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।				

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसे तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200/- रु.) में उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3 फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. तकनीशियन	21* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से इलैक्ट्रीकल ट्रेड या डीजल मेकैनिक ट्रेड या मोटर मेकैनिक ट्रेड या ट्रैक्टर मेकैनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त वर्णित ट्रेडों में से किसी में भी तीन वर्ष का अनुभव तथा यानों व ट्रैक्टरों के चालन तथा रखरखाव में प्रवीणता होनी चाहिए तथा हल्के और भारी कार्य यानों व ट्रैक्टरों के लिए वैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखतो हो; या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से इलैक्ट्रीकल या इलैक्ट्रानिक या उपकरण मैकेनिक में प्रमाण पत्र के साथ आटो विद्युत या उपकरणों या इलैक्ट्रानिक रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी) और बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर-तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900/- रु.) में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो, जो स्तंभ 7 में वर्णित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित स्तर या पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पण 2- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य समूह **ग** विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव ((यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी)	15* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष	(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से ट्रैक्टर मेकैनिक या फार्म मेकैनिक या डीजल मेकैनिक में	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण**: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंही अन्य परिस्थितियों

तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।	प्रमाण पत्र ; और (ii) ट्रैक्टरों के लिए वैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हो		वर्ष	में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह **ग** विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	लागू नहीं होता

[मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्टIX)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

G.S.R. 1329(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. –** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.–** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification–** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Technical Assistant	19* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in	Diploma in Agricultural Engineering from a recognized Institute or University with five years experience in the relevant field.	Age –No Educational qualifications - No	Two years' for direct recruits.	(i) 50% by promotion; (ii) 50% by direct recruitment.

India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).				

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
Promotion: Senior Technicians in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Draughtsman Grade II	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Not applicable

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognized Institute or University with five years' experience in the relevant field.	Not applicable.	Two years' for direct recruits.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or State Government or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C'Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Agricultural Assistant	4* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Not applicable

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bachelor's Degree in Agriculture from a recognized University.	Not applicable.	Two years'	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C'Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Senior Technician	50* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Not applicable

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(A) (i) Industrial Training Institute (ITI) Certiifcate in Mechanic Agricultural Machinery or Mechanic Motor Vehicle or Mechanic Tractor or Mechanic	Not applicable.	Two years' for direct recruits.	(i) 25% by promotion; (ii) 75% by direct recruitment.	Promotion: Technicians in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or

Diesel Engine or Electrician trade; (ii) five years experience in operation and maintenance of tractor or heavy transport vehicle or heavy earthmoving equipments or electrical maintenance; and (B) Possessing valid driving licence of light and heavy duty vehicle and tractor.				eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C'Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. Group 'C'Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Technician	21* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical trade or Diesel Mechanic trade or Motor Mechanic trade or Tractor Mechanic trade with three years experience in any of the trades mentioned above and proficiency in driving and maintenance of vehicles and tractors and should possess a valid driving licence for light and heavy duty vehicles and tractors; or	Age: No Educational Qualification : Yes	Two years' for direct recruits.	(i) 33.33% by promotion; (ii) 66.67% by direct recruitment.

(ii) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical or Electronic or Instrument Mechanic with three years experience in auto electrical or instruments or electronics maintenance.			

(11)
Promotion: Multi-Tasking Staff (Technical) and Multi-Tasking Staff (Non-Technical) in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective level or post. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. Group 'C'Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Multi-Tasking Staff (Technical)	15* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not applicable

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Tractor Mechanic or Farm Mechanic or Diesel Mechanic; and (ii) Possessing valid driving licence of tractor.	Not applicable.	Two years' for direct recruits.	by direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on	Not applicable.

			transfer on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. IX)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.08 11:51:49 +05'30'